भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति एवं सामाजिक समस्यायें

प्रस्तावना

किसी भी सभ्य समाज की स्थिति उस समाज में स्त्रियों की दशा देखकर ज्ञात की जा सकती है। महिलाओं की स्थिति में समय–समय पर देश काल के अनुसार परिवर्तन होता रहा है। समय के साथ भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन हुये जिससे महिलाओं की स्थिति में दिन–प्रतिदिन गिरावट आती गई तथा गरीब महिलाओं पर इसका अधिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि सैकड़ों वर्षों की परतन्त्रता के कारण भारतवर्ष विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक है। समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका उतनी ही प्रमुख है जितनी कि शरीर को जीवित रखने के लिये जल, वायु, और भोजन हैं। स्त्रियां ही संतति की परम्परा में मुख्य भूमिका निभाती हैं फिर भी प्राचीन समाज से लेकर आधुनिक कहे जाने वाले समाज तक स्त्रियां उपेक्षित ही रही हैं। उन्हें कम से कम सुविधाओं, अधिकारों और उन्नति के अवसरों में रखा जाता रहा है, इसी कारण महिलाओं की परिस्थिति अत्यन्त निचले स्तर पर है। भारतीय समाज की परम्परागत व्यवस्था में महिलायें आजीवन पिता, पति और पुत्र के संरक्षण में जीवन–यापन करती रही हैं। भारतीय संविधान में पुरूषों एवं महिलाओं को समाज दर्जा और अधिकार दिये जाने के बावजूद इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि विकास और सामाजिक स्तर की दृष्टि से महिलायें अभी पुरूषों से काफी पीछे हैं। भारतीय समाज में महिला आज भी कमजोर वर्गों में शामिल है। महिला परिवार की आधारशिला है और सामाजिक विकास बहुत कुछ उसी के सद्प्रयासों से सम्भव है। जिस समाज की महिलायें उपेक्षा और तिरस्कार का शिकार होती हैं वह समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता।

महिलाओं के ऊपर सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक एवं अन्य अनेक ऐसी निर्योग्यतायें लाद दी गई हैं जिसके कारण उन्हें जीवन में आगे

बढ़ने एवं व्यक्तित्व का समुचित विकास करने का अवसर नहीं मिलता। ये निर्योग्यतायें उनके लिए बहुत बड़ी चुनातियां एवं समस्यायें बनकर उभरी है। इन निर्योग्यताओं के कारण कार्य में दक्षता, योग्यता एवं कुशलता होने के बावजूद ये महिलायें न तो सार्वजनिक क्षेत्र में अपना योगदान कर सकती थी और न शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं, न उच्च संस्थानों में नौकरी कर सकती थी और न किसी प्रकार का धार्मिक कार्य बिना पुरूष के सम्पादित कर सकती थीं। पुरूष वर्ग के साथ खानपान पर प्रतिबन्ध था। महिलाओं के लिये उच्च शिक्षा के दरवाजे पूर्णतया बन्द थे जिससे उन्हें विवशतापूर्ण जिन्दगी घर की चहारदीवारी के अन्दर व्यतीत करनी पड़ती थी। इन्हें पढ़–लिखकर नौकरी करने के अधिकारों से वंचित रखा गया था। महिलाओं की बदतर स्थिति के लिये मूलरूप से ही लड़कों, लड़कियों को संस्कार रूप में मिलने वाली सोच जिम्मेदार है, उसके बाद पारिवारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परम्परायें, मूल्य तथा रीति–रिवाज इस दृष्टिकोंण की ओर पुष्टि करते हैं। अतः इस सोच में बदलाव लाना महिला विकास की सबसे बड़ी चुनौती है।

महिलाओं की शिक्षा पर बल देते हुये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948) के ये ऐतिहासिक शब्द भी ध्यान देने योग्य हैं, जो निम्न हैं :–

''शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरूष हो ही नहीं सकता। यदि पुरूषों और स्त्रियों में से केवल किसी एक के लिये सामान्य शिक्षा का प्रावधान करना हो तो यह अवसर स्त्रियों को दिया जाना चाहिए क्योंकि यह शिक्ष स्वयंएमेव अगली पीढ़ी को प्राप्त हो जायेगी।''

सन् 1963 के वनस्थली विद्यापीठ में भाषण देते हुये पं0 जवाहर लाल नेहरू ने भी इसी तथ्य को दोहराया था कि लड़के की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा है परन्तु एक लड़की की शिक्षा सम्पूर्ण परिवार की शिक्षा है।

उपरोक्त विवेचन से महिलाओं के लिये शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व स्पष्ट होता है लेकिन स्त्री शिक्षा इतनी आवश्यक होते हुये भी उपेक्षित है इसलिये महिलाओं के सामने यह एक जटिल समस्या एवं चुनौती के रूप में उभरकर सामने

आयी है। शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि सभी दृष्टियों से महिलायें अभी भी पिछड़ी हुई है। कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से अनेक अधिकार प्राप्त होने और योजनागत विकास कार्यक्रमों के प्रावधानों के बावजूद महिलाओं की परिस्थिति शोचनीय ही है।

स्वामी विवेकानन्द के कथनानुसार कोई राष्ट्र तब तक अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता जब तक कि उसका प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के विकास में भागीदार नहीं बनता।

इस प्रकार स्त्री एक अच्छे समाज और अच्छे राष्ट्र का स्रोत होती है। विद्या से ही व्यक्ति संकीर्ण मानसिकता और रूढ़िवादिता की जंजीरों को तोड़ सकता है। यदि स्त्री शिक्षित है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। शिक्षा ही हमें सामाजिक भेदभावों और ऊँच–नीच की भावनाओं से उबारने का काम करती है। इसलिये स्त्रियों का शिक्षित होना बहुत आवश्यक होता जाता है क्योंकि उसके विचार ही उसके बच्चे होते हैं अगर वह अपने बच्चों को इन रूढ़िगत विचारों से दूर रखे और यह बताये कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। व्यक्ति के कार्य और विचार ही उसे छोटा या बड़ा बनाते हैं। यदि माता अपने बच्चों में जाति–भेद और धर्म–भेद रहित विचारों का बीजारोपण करे तो आगे चलकर वह एक ऐसा वृक्ष बनेगा जिसमें सामाजिक–समरसता से पूर्ण फल लगेंगे जो बिना किसी भेदभाव के छाया भी प्रदान करेगा।

इस प्रकार एक शिक्षित स्त्री एक शिक्षित देश को जन्म देती है। यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो हमें ऐसी बहुत सी विदुषी स्त्रियों के नाम मिल जायेंगे जिन्होंने अपनी विद्यता का लोहा मनवाया था और इस प्रकार इतिहास में अपना नाम अमर करवा लिया था। ऐसी स्त्रियों में अपाला, घोषा, गोपा, सावित्री, मैत्रेयी और गार्गी जैसी अन्य अनेक स्त्रियों के नाम मिलते हैं जिन्होंन विद्यार्जन कर स्त्रियों के अस्तित्व को गौरव प्रदान किया था। उनकी शक्ति थी उनकी विद्या, लेकिन बाद के कालों में उनकी यह शक्ति उनसे छीनी जाने लगी। उन्हें विद्या से रहित कर दिया गया और यही उनकी स्थिति की अवनत का कारण बना। देखा जाये तो

आज भी वो स्थिति प्राप्त नहीं कर पाई है। हालांकि कुछ हद तक उसने अपने को उबारा है, लेकिन अभी भी पूर्णरूपेण उन्नति होना बाकी है। सामाजिक कुरीतियों का उसे शिकार बनाया गया। छोटी उम्र में विवाह प्रारम्भ हुये, उपनयन संस्कार से उसे वंचित किया जाने लगा, फलस्वरूप उसका व्यक्तित्व कुंठित हो गया है। बाल–विवाह के कारण शिक्षा उससे छिन गई और तब यह केवल संभ्रान्त परिवारों की स्त्रियों तक ही सीमित हो गई या पुरूष की संकीर्ण मानसिकता, स्त्री को शिक्षा से वंचित होना पड़ा जिसके कारण वह पर्दा–प्रथा, सती प्रथा, नियोग–प्रथा आदि अनेक बुराईयों की बेड़ियां काटने में असक्षम हो गई क्योंकि उसका हथियार ''शिक्षा'' उससे छीना जा चुका था। शिक्षा जोकि सिर्फ सर्वांगीण विकास ही नहीं करती बल्कि हमें समाज में व्याप्त बुराईयों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करती है। वो हमें अपने अधिकारों के प्रति सचेत करती है।

साहित्य समीक्षा

अनेक समाजशास्त्रियों, जनसंख्याविदों तथा शिक्षाविदों ने स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का अनुभवात्मक अध्ययन किया है तथा अपने विश्लेषण के द्वारा महिलाओं की सामाजिक, व्यवसायिक गतिशीलता तथा पुरूषों के समान शैक्षणिक व सामाजिक अधिकार, परिवार में निर्णय निर्धारक भूमिका तथा प्रदत्त परिस्थिति को नकार कर, अर्जित प्रास्थिति द्वारा अपनी क्षमता के नये आयामों को उद्घाटित करना, के सन्दर्भ में विभिन्न मत प्रस्तुत किये गये हैं। यहाँ शोध समस्या से सम्बन्धित विभिन्न समाजशास्त्रियों, जनसंख्याविदों तथा शिक्षाविदों के साहित्य का अवलोकन किया गया है जिसमें इनके अध्ययन के निष्कर्षों का संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

मीनाक्षी मुखर्जी (1988) का मत है कि पुरूषों से स्वतन्त्र स्त्रियों की पहचान की अभिव्यक्ति वैचारिक दृष्टि से सम्भव है परन्तु व्यवहारिक तौर पर नहीं। एक पुरूष की अपेक्षा एक स्त्री के लिये सामाजिक अनुपालन अधिक आवश्यक है। सामान्यतः एक महिला की पहचान स्वयं और अन्य लोगों के द्वारा पुरूषों के साथ एक पुत्री, एक पत्नी और एक माँ के रूप में की जाती है।

मीनाक्षी का मानना है कि परिवार ही स्त्रियों को गुलाम बनाने वाली संस्था नहीं है। समाज की प्रकृति ही ऐसी है कि जिसमें स्त्रियों के साथ अुनदार रूप में व्यवहार किया जाता है।

माग्रेट कारमैक (1779) ने विश्वविद्यालय की 500 छात्राओं के अध्ययन के दौरान पाया कि लड़कियां कॉलेज जाना और लड़कों से मित्रता करना चाहती थीं लेकिन वे ये भी चाहती थीं कि उनका विवाह उनके माता–पिता तय करें। वे अपनी नव स्वतन्त्रता का भोग भी करना चाहती हैं लेकिन साथ ही साथ पुराने मूल्यों को भी बनाये रखना चाहती हैं।

गोविन्द केलकर (1981) ने अपने अध्ययन में पाया कि हरित क्रान्ति वाले क्षेत्र पंजाब में स्त्रियों को दिन–भर कामकाज के बाद पति की सेवा भी करनी पड़ती

है। स्त्री द्वारा उलटकर जवाब देना, ठीक तरह से भेजन न परोसना या कभी–कभी पारिवारिक मामलों में बोलना उनका अपराध माना जाता है और इसके लिये उनकी पिटाई भी होती है।

कॉपर ने कानून की नजर में महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इस अध्ययन के आधार पर महिलाओं की संवैधानिक स्थिति, प्रभुता, अधिकार, सम्पन्नता, कानूनी शक्ति इत्यादि को समझा जा सकता है। वस्तुतः महिलाओं की परिस्थिति को उच्च बनाने की दृष्टि से इनके पक्ष में कानून निर्मित किये गये हैं, किन्तु भारतवर्ष में पुरूष प्रधान समाज होने के कारण भारतीय महिलाओं का एक प्रमुख एवं विचारणीय भाग कानून के प्राविधान से अनभिज्ञ रह गया है फिर भी भारतीय समाज की उच्च वर्गीय महिलाओं ने इसका लाभ उठाकर अपनी सामाजिक परिस्थिति को उच्च किया है।

मिश्र (1981) ने अपने अध्ययन के द्वारा यह बताने का प्रयास किया है कि जब तक सामाजिक–सांस्कृतिक बाधायें समाप्त नहीं होगी तब तक भारतीय महिलाओं का सर्वांगीण विकास सम्भव नहीं है। महिलाओं के प्रति पुरूषों की दृष्टि में परिवर्तन आवश्यक है।

आज भी बहुत से ऐसे ग्रामीणजन हैं जो वासनात्मक निषेध के कारण अपनी बालिकाओं को घर के बाहर नहीं जाने देते और बाल्यावस्था में ही विवाह कर देते हैं। वस्तुतः आज भी महिलायें पुरूष की नजर में महिला और मात्र महिला है, इसके अतिरिक्त वे कुछ नहीं हैं और पुरूषों का वासनात्मक लक्ष्य बनी हुई हैं। इस दृष्टि में परिवर्तन अपरिहार्य है।

गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपने रामचरित मानस के द्वारा इस तथ्य की पुष्टि की है। महिलाओं में अद्वितीय क्षमता पायी जाती है। इन्होंने भक्ति साहित्य, राजनीति, शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा, सेना इत्यादि सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जाकर अपनी अद्‌भूत प्रतिभा का अनोखा परिचय दिया है। आज महिलाओं को पहचानने की आवश्यकता है। ये सब कुछ कर सकती है। एक ओर बहुत अच्छी व्यवस्था कर सकती है तो दूसरी ओर समाज में क्रान्ति भी ला सकती है। पुरूषों

की सेवा करने में सक्षम है तो पुरूषों को झुकने और उनसे अपनी सेवा कराने की क्षमता भी रखती है। यह सब कुछ कर सकती है।

विवाह मूलक परिवार में स्त्री की भिन्न–भिन्न परिस्थितियाँ होती है उदाहरण के लिए बेटी पत्नी, बहू, माँ इत्यादि। इन परिस्थितियों से सम्बन्धित भूमिकाओं का निर्वाह करना होता है एवं प्रत्येक भूमिका निर्वाह के समय उनसे समपर्ण एवं भेदभाव की भावना की अपेक्षा की जाती है। वहाँ भी उसे निम्न परिस्थिति प्राप्त होती है एवं उनका कोई पृथ व स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। इस प्रकार स्त्रियों की परिस्थितियों में उतार–चढ़ाव पाया गया है, परन्तु यह परिस्थिति सम्बन्धी उतार–चढ़ाव अचानक परिलिक्षित नहीं हुआ अपितु यह एक क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है। समाज में जैसे–जैसे परिवर्तन व बदलाव आते गये वैसे–वैसे स्त्रियों की स्थिति में भी परिवर्तन होते गये।

दूबे ने भारतवर्ष में पुरूषों और महिलाओं की विभिन्न भूमिकाओं को प्रकाशित करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। जब व्यक्ति की भूमिकाएं अनेक हो जाती है तो उन भूमिकाओं में कभी–कभी संघर्ष की स्थिति आ जाती है व्यक्ति अपनी सभी भूमिकाओं का पूर्ण और यथोचित निर्वाह नहीं कर पाता जिन महिलाओं को घर के भीतर और बाहर कार्य करना पड़ता है वे न तो घर में और न ही घर के बाहर अपने दायित्वों का पूर्ण रूपेण पालन कह जाती है।

शिक्षित महिलाओं की वैवाहिक समस्या का अध्ययन **मित्र** (1980) द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ग्रामीण समाज की शिक्षित लड़कियों के लिए उचित वर नहीं मिल पाता, जो मिलता भी है उसकी मांग इतनी अधिक होती है कि लड़की के पिता उन मांगों को पूरा करने में असमर्थ होते है। वैवाहिक समस्या एक ज्वलंत समस्या है। आज की शिक्षित महिलायें जिसका शिकार है।

डा0 कपूर के अनुसार, 'आज की पढ़ी–लिखी महिलायें भी ऊपर से तो स्वतंत्रता का झूठा लबादा पहन लेती है लेकिन अपनी ही आंतरिक स्वतंत्रता के बारे में बेखबर हैं। आंतरिक स्वतंत्रता का जज्बा तब तक उनका बाहरी तौर पर स्वतंत्र दिखना मायने नहीं रखता। अतः उसे अपने अधिकारों को समझकर सीमा में

रहते हुए उनका सदुपयोग करना चाहिए। जब तक किसी महिला को अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आजादी नहीं मिलती, तब तक उसे स्वतंत्र नहीं माना जा सकता।

अध्ययन की आवश्यकता :

समाज शास्त्र में प्रायः महिलाओं की शिक्षा सशक्तीकरण स्वतंत्रता तथा अधिकार पर विगत वर्षो से शोध कार्य संपन्न किये जा चुके हैं और वर्तमान में भी जारी हैं, लेकिन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति एवं सामाजिक समस्याओं से सम्बन्धित शोध कार्य कम ही है।

अतएव प्रस्तुत शोध समाज में महिलाओं की स्थिति पर आधारित है। महिलाओं में अपने अधिकार के प्रति, शिक्षा के प्रति जागरूक करने से सम्बन्धित व्यवहार का एक सामाजिक चित्रण है।

अतः यह अध्ययन इस दिशा में एक छोटा सा प्रयास है जिससे हम समाज में व्याप्त असमानता, असामाजिकता एवं महिलाओं की समस्याओं को समाज के सामने प्रस्तुत कर सकें।

शोध प्रारूप एवं प्रविधि :

1. अध्ययन का क्षेत्र :

अध्ययन के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये उत्तर प्रदेश के जिला लखनऊ का क्षेत्र चिनहट का चयन किया गया है सर्वप्रथम अध्ययन क्षेत्र का पायलट सर्वे किया जायेगा। जिसके द्वारा वहाँ के निवासियों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति उनकी समस्यायें एवं शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त की जायेगी। चयनित क्षेत्र की महिलाओं के सभी आवश्यक तत्वों को ध्यान में रखा जायेगा।

2. अध्ययन का प्रारूप :

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्यों को समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखते हुए अन्वेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक शोध प्रारूप का प्रयोग किया जायेगा। ऐसे शोध प्रारूप का सम्बन्ध प्राथमिक शोध से है जिसके अन्तर्गत समस्या के विषय में प्राथमिक सूचनाएं प्राप्त करके भावी अध्ययन की आधार शिला तैयार की जायेगी अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा घटनाओं में व्याप्त नियमितता एवं श्रृंखला बद्धता को स्पष्ट किया जायेगा जिनमें नवीन तथ्यों या सूचनाओं को उद्घाटित किया जा सकें।

3. उपकल्पना :

सामाजिक शोध को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने हेतु उपकल्पना का निर्माण अति आवश्यक हो जाता है। उपकल्पना सामाजिक शोध को एक आधार प्रस्तुत करता है, जिनके द्वारा सामाजिक शोध को एक दिशा तथा वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया जा सकता है।

1. महिलाओं में अपने अधिकारों की जानकारी का अभाव होगा।
2. महिलाये समाज में अपनी स्थिति से अनभिज्ञ होंगी।
3. समाज में व्याप्त समस्याओं से ग्रसित होंगी।
4. परिवार में निर्णय निर्धारण की भूमिका नहीं होगी।

4. अध्ययन का उद्देश्य :

सामाजिक शोध का सबसे महत्पूर्ण चरण उद्देश्य निर्धारण है जिनके आधार पर सामाजिक शोध को वैज्ञानिक बनाने के साथ एक दिशा प्रदान की जाती है। अतः प्रस्तुत शोध के उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

1. महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक दशाओं का अध्ययन करना।

2. महिलाओं को परिवार में प्राथमिकता न देने के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना करना।

3. महिलाओं की सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना।

4. परिवार में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करना।

5. महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक कराना।

5. निदर्शन :

प्रस्तुत शोध की समस्या तथा उद्देश्य की पूर्ति हेतु उद्देश्य पूर्ण निदर्शन (Purposive Sampling) तत्पश्चात दैव निदर्शन (Random Sampling) प्रणाली का प्रयोग किया जायेगा।

6. तथ्य संकलन :

प्रस्तुत शोध में प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार के तथ्य संकलित किये जायेंगे। प्राथमिक तथ्य संकलन हेतु सर्वप्रथम पायल सर्टिंग (Poil Sorting) तथा रेटिंग (Rating) विधि का प्रयोग किया जायेगा। रेटिंग (Rating) विधि के पश्चात प्राप्त तथ्य (चर) के सहयोग से साक्षात्कार अनुसूची तैयार किये जायेंगे।

तत्पश्चात् उद्देश्य पूर्ण निदर्शन के द्वारा चयनित 300 सूचनादाताओं का साक्षात्कार किया जायेगा। साक्षात्कार अनुसूची में खुली तथा बन्द दोनों प्रकार के प्रश्नों को रखा जायेगा।

उद्देश्य की पूर्ति तथा तटस्थता हेतु कुछ द्वितीयक तथ्यों को भी सम्मिलित किया जायेगा। द्वितीयक तथ्य जैसे अध्ययन विषय से सम्बन्धित प्रकाशित तथा अप्रकाशित साहित्य, शोध प्रबन्ध, सरकारी अभिलेखों से भी महत्वपूर्ण सामग्री संकलित की जायेगी।

प्रस्तुत शोध की समस्या का समाधान तथा उद्देश्य पूर्ति हेतु महिलाओं पर प्रकाश डालते हुए विषय का अध्ययन किया जायेगा।

7. तथ्य विश्लेषण :

तथ्य संकलन, वर्गीकरण तथा सारणीयन के उपरान्त तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या की जायेगी। तथ्यों के सारणीयन तथा विश्लेषण हेतु कुछ सांख्यिकीय प्रविधियों का भी प्रयोग किया जायेगा।

निष्कर्ष एवं सुझााव :

1. सूचनादाताओं द्वारा दिये गये सुझाव।
2. अनुसंधानकर्त्री द्वारा दिये गये सुझाव।
3. सामाजिक विकास हेतु सुझाव।
4. आर्थिक विकास हेतु सुझाव।
5. शैक्षिक प्रगति हेतु सुझाव।